136

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल म.प्र. सागर केम्प.

निग/3548-II-15

रा.पु.क्र.

पे.ता.

फूलदास बल्द मुकुंदी अहिरवार पेशा कृषि

सा. बांसाकला वार्ड न 6 तह पथरिया जिला दमोह म.प्र.

पुनरीक्षणकर्ता

19 OCT 2015

बनाम

राममूर्ति पत्नि गुन्चाई अदिवासी पेशा नामालूम

निवासी बांसाकला तह पथरिया जिला दमोह म.प्र.

उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता

विद्वान अधिनस्थ राजस्व न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय महोदय पथरिया जिला दमोह के रा. प्र.क्र. 3अ6 वर्ष 2014.15 पक्षकार राममूर्ति पति गुंचाई अदिवासी बनाम फुलदास बल्द नामालूम जाति अदिवासी +1 अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 25/08/15 द्वारा याचिकाकर्ता की अधिकारिता रहित अपील होने की आपत्ति को अमान्य करने से पीडित व दुःखीत होकर आलोच्य आदेश का पुनरीक्षण अन्य आधारो के अलावा निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

संक्षिप्त तथ्य :– याचिकाकर्ता के पिता मुंकुदी अहिरवार के भाई गुंचाई अहिरवार थे मुकुंदी व गुन्चाई के पिता पुन्ने अहिरवार थे गुन्चाई पत्नि का नाम लुडकाबाई था उनकी कोई संतान नही हुई थी इसी अवस्था गुन्चाई की पत्नि का देहात हो गया एवं गुन्चाई का स्वर्गवास दिनॉक 17/1/14को हुआा गुन्चाई याचिकाकर्ता को पुत्रवत मानते थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका नाम उनके देंहात के बाद भी चलता रहे इसके लिए उन्होने ने अपने छोटे भाई मुकुन्दी के पुत्र फूलदास से इच्छा प्रकट की उनके देहांत के बाद उनकी ग्राम बांसाकला स्थित भूमि ख.न. 1285 रकवा 0.66 हे. याचिकाकर्ता फूलदास को मिले और इनके राजस्व रिकार्ड में याचिकार्कर्ता फूलदास अपनी बल्दीयत में गुन्चाई नाम से अपना नाम दर्ज करा उक्त भूमि पर गुन्चाई की इच्छा के अनुसार उनके स्वर्गवास के बाद याचिकाकर्ता का नाम दर्ज हुआ याचिकाकर्ता के नामातंरण दिनॉक 1/2/14 के बाद फरवरी 2015 में कोटवार से मालूम चला की याचिकाकर्ता के भूस्वामित्व की भूमि ख.न.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3578-II/15 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. इसके अनुक्रम में मैं यह पाता हूँ कि प्रकरण में अनु अधि ने अभी तक ना तो ग्राह्यता पर और ना ही धारा ५ पर निर्णय लिये हैं. आवेदक का कहना है इन दोनों बिन्दुओं पर निर्णय एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए. मैं आवेदक की यह आपत्ती इस प्रक्रम पर रा मं में विचार योग्य नहीं पाता हूँ. मुझे लगता है कि आवेदक ने इस प्रक्रम पर यह निगरानी केवल न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से की है. अतः, मैं यह प्रकरण अग्राह्य करता हूँ. यदि आवेदक इस प्रक्रम पर कोई बिंदु उठाना चाहते हैं, तो वे उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही उठाएं. यदि बिंदु तर्कसंगत होगा, तो अधीनस्थ न्यायालय उस पर विचार नहीं करेगा, ऐसा मांने का मेरे समक्ष कोई कारण नहीं है. इसी के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है. आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो. (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	